

अमरेन्द्र सिन्हा,  
सचिव,  
उत्तरांचल शासन।

राज्य परियोजना निदेशक  
एवं शिक्षा निदेशक उत्तरांचल,  
शिविर कार्यालय, देहरादून।

देहरादून, दिनांक ५.७.२००२

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय तथा जिला परियोजना कार्यालय हेतु पदों के सृजन के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक आपके अर्द्ध शा0 पत्र सं0 779/रा0प0नि0/2002-2003 दिनांक 22 जुलाई, 2002 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महादय "उत्तरांचल सभी के लिये शिक्षा परिषद" द्वारा संचालित सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य परियोजना कार्यालय, देहरादून व विभिन्न जिला परियोजना कार्यालयों में निम्नांकित पदों को उनके सम्मुख अंकित वेतनमानों में शासनादेश निर्गत होने अथवा विधिवत् नियुक्ति तिथि जो भी बाद में हो, से दिनांक 31.3.2003 तक के लिये शासनादेश में अंकित शर्तों के अधीन अस्थाई रूप से सृजित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।

राज्य परियोजना कार्यालय:-

क्र.सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	वरिष्ठ विशेषज्ञ	12000-16500	01
2.	विशेषज्ञ	8000-13500	01
3.	समन्वयक	6500-10500	01
4.	सह-समन्वयक	5500-8500	01
5.	स्टेनो	5000-8000	01
6.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5000-8000	02
	योग-		07

चमोली, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, देहरादून, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं ऊधम सिंह नगर के जिला परियोजना कार्यालय हेतु 56 पद (प्रति जनपद विवरण निम्नवत् है)

जिला परियोजना कार्यालय:-

क्र.सं०	पदनाम	वेतनमान	पदों की संख्या
1.	जिला परियोजना अधिकारी (पदेन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी)	8000-13500	01
2.	जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा)	6500-10500	01
3.	जिला समन्वयक (सागु0राहभागिता)	6500-10500	01
4.	जिला समन्वयक (प्रशिक्षण)	6500-10500	01
5.	जिला समन्वयक (वैकल्पिक शिक्षा)	6500-10500	01
6.	सहायक पित्त एवं लेखाधिकारी.	6500-10500	01
7.	कम्प्यूटर ऑपरेटर	5000-8000	01
8.	लेखक	5000-8000	01
	योग-		08

इन रागी पदधारकों का वेतनादि सर्व शिक्षा अभियान परियोजना से ही आहरित किया

समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले शासनादेशों द्वारा वेतन के अतिरिक्त महंगाई भत्ता व भी नियमानुसार अनुमन्य हों, देय होंगे।

उक्त पदों के सृजन पर इस शर्त के साथ सहमति दी जाती है कि पद प्रथमतः प्रविनियुक्त/रिडिप्लाइमेन्ट से शिक्षा विभाग में स्वीकृत पदों में से तैनाती से भरे जाएंगे तथा जिन पदों पर प्रविनियुक्त पर अभ्यर्थी न मिले उन पर निर्धारित अवधि के लिए अनुबन्ध कर संविदा पर रखे जाएंगे। जिससे किसी प्रकार का आवर्तक व्यय परियोजना बन्द होने के उपरान्त राज्य सरकार पर न पड़े।

4. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2002-2003 के अनुदान संख्या- 11 के अधीन लेखा शीर्षक 2202- सामान्य शिक्षा, आयोजनागत- 01, प्रारम्भिक शिक्षा- 800, अन्य व्यय 01-केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-सर्व शिक्षा अभियान-20 सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डाला जाएगा।

5. यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या: 276/वि.क.५/२०१२ दिनांक 27-12-2002 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भयदीब  
(अमरेंद्र सिन्हा)  
सचिव

संख्या: 245(1)/बे०शि०/ 2002 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार, उत्तरांचल इलाहाबाद।
2. अपर शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल, पौड़ी।
3. वित्त अनुभाग- 4
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(जे०पी० जोशी)  
अनुसचिव